डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर 2001—भाद्र 14, शक 1923

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक /एफ/7-1/15/सह./2001.—रायपुर, यत: दिनांक 30 सितम्बर 2001 तक वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों का व्यापक रूप से चुनाव कराने पर कृषक सदस्यों को भाग लेने में कठिनाई होगी. अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 49 की उप-धारा (7-क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपरोक्त सोसाइटियों की समितियों की अवधि को उनकी अपनी-अपनी अवधि के समाप्त होने की तारीख से छ: माह की कालावधि के लिए और बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक /एफ/7-1/15/सह./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/7-1/15/सह./2001 दिनांक 4 सितम्बर 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

Raipur, the 4th September 2001

NOTIFICATION

No. F/7-1/15/Co. /2001.—Whereas it would be difficult for farmer members of primary agriculture credit co-operative societies to participate in the election, conducted widely in rural areas before dated 30 September, 2001 due to continuation of rains. Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (7-AA) of Section 49 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) the State Government hereby, further extend the term of the committees of aforesaid societies for the period of six months from the date of expiry of the term of their respective committees.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHANDRAHAS BEHAR, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193-अ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 सितम्बर 2001—भाद्र 14, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 4611/21-अ(प्रा.)/छग/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 को और संशोधित करने हेतु विधेयक

यह भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2001 है (क्रमांक 15 सन् 2001).

विस्तार. 2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारंभ. 3. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

धारा 3 एवं 3 (ख) का प्रतिस्थापन एवं विलोपन. 4. (i) छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के द्वितीय परन्तुक में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो", प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(ii) प्रमुख अधिनियम की धारा 3 (ख) में "को समेकित रकम" शब्दों को विलोपित किया जायेगा .

(iii) प्रमुख अधिनियम की धारा 3 (ख) में वर्तमान सारणी निम्नांकित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

सारणी

अ. क्र. (1)	जनसंख्या (2)	प्रति केबल कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क की दर (3)
1.	1 से 20,000 तक	निरंक
2.	20,001 से 50,000 तक	रुपये 5/-
3.	50,000 से अधिक	रुपये 10/-

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 4611/21-अ(प्रा.)/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 15 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 15 of 2001)

THE CHHATTISGARH MANORANJAN KAR EVAM VIGYAPAN SHULK (SANSODHAN) VIDEYAK, 2001

A Bill further to amend the Chhattisgarh manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk Adhiniyam, 1936.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called "The Chhattisgarh Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk (Sansodhan) Adhiniyam, 2001" (No. 15 of 2001). **Short title.**

2. It extends to the whole of Chhattisgarh State. **Extent.**

3. It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. **Commencement.**

4. (i) In the second proviso of Section 3 of "The Chhattisgarh Manoranjan Kar Evam Vigyapan Shulk Adhiniyam, 1936" (No. 30 of 1936) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the word "one" the word "two" shall be substituted. **Deletion & Substitution of Setion 3, 3-B.**

(ii) In Section 3-B of the Principal Act the words "a consolidated amount of" shall be deleted.

(iii) The existing table in Section 3-B of the Principal Act shall be substituted by the following table :—

TABLE

S. No. (1)	Population (2)	Entertainment tax per Cable Connection per month (3)
1.	1 to 20,000	Nil
2.	20,001 to 50,000	Rs. 5/-
3.	above 50,000	Rs. 10/-

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.